प्रेस को सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 20/2022)

<u>तत्काल प्रकाशन के लिए</u>

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने "यूएसएसडी-आधारित टैरिफ के लिए विनियामक फ्रेमवर्क " पर दूरसंचार टैरिफ (68वां संशोधन) आदेश, 2022 जारी किया

नई दिल्ली, 7 अप्रैल 2022: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज "यूएसएसडी-आधारित टैरिफ के लिए विनियामक फ्रेमवर्क " पर दूरसंचार प्रशुल्क (68वां संशोधन) आदेश, 2022 जारी किया है।

2. भादूविप्रा ने इससे पहले 22 नवंबर 2013 को दूरसंचार टैरिफ (56वां संशोधन) आदेश जारी किया था जिसमें यूएसएसडी आधारित मोबाइल बैंकिंग सेवा के लिए प्रति यूएसएसडी सत्र रु. 1.50 का अधिकतम शुल्क निर्धारित किया गया था। इसके बाद, प्राधिकरण ने दूरसंचार टैरिफ (61वां संशोधन) आदेश, 2016 के माध्यम से बैंकिंग और भुगतान सेवाओं के लिए यूएसएसडी-आधारित टैरिफ को रु. 1.50 से घटाकर रु. 0.50 प्रति सत्र कर दिया।

3. यूएसएसडी आधारित प्रशुल्क के लिए मौजूदा विनियामक फ्रेमवर्क की समीक्षा करने के लिए, प्राधिकरण ने 24 नवंबर, 2021 को दूरसंचार टैरिफ (66वां संशोधन) आदेश का मसौदा जारी किया, जिसमें मोबाइल बैंकिंग और भुगतान सेवाओं के लिए यूएसएसडी सत्रों को निशुल्क रखने का प्रस्ताव किया गया। इस पर क्रमशः 8 दिसंबर 2021 और 17 दिसंबर 2021 तक हितधारकों से टिप्पणियां और प्रति टिप्पणियां आमंत्रित की गईं।

4. हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों और उसके पास उपलब्ध अन्य डेटा/सूचना का विश्लेषण करने के बाद, प्राधिकरण का विचार है कि यूएसएसडी उपयोगकर्ताओं के हितों की रक्षा करने और डिजिटल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए यूएसएसडी शुल्कों के युक्तिकरण की आवश्यकता है। इसी को देखते हुए, प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि मोबाइल बैंकिंग और भुगतान सेवा के लिए ग्राहकों से यूएसएसडी का शुल्क नहीं लिया जाएगा। प्राधिकरण सेवा की प्रगति पर नजर रखना जारी रखेगा और दो साल की अवधि के बाद प्रभार की समीक्षा कर सकता है।

5. दूरसंचार टैरिफ (68वां संशोधन) आदेश, 2022 को भादूविप्रा की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। किसी भी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए, श्री अमित शर्मा, सलाहकार (एफ एंड ईए) से दूरभाष क्रमांक: .+91-11-23234367, फैक्स: +91-11-23235249 पर संपर्क किया जा सकता है।

(वी. रघुनंदन)
सचिव, भादूविप्रा

.